



भारतीय इतिहास लेखन की विकास की परम्परा

डॉ० ऋत्विक् कुमार ओझा

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

यह सत्य है कि इतिहास जिस रूप में आज परिभाषित होता है उस रूप में भारतीयों ने इतिहास-रचना नहीं की। भारत में अतीत को स्मृति इतिहास के रूप में नहीं सुरक्षित की गई। अतीत दो प्रकार का होता है :- (1) मृत अतीत जैसी घटनाएँ, व्यक्ति इत्यादि, तथा (2) जीवन्त अतीत अर्थात् परंपराएँ जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्प्रेषण होता रहता है। भारत में परंपराओं की सुरक्षा का प्रयास ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं किया जाता था। इसमें सभी की क्रियात्मक सहभागिता आवश्यक समझी जाती थी। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इतने सुदूर अतीत का इतना बड़ा भाग सुरक्षित रखा हो। भारत में सदैव यह विश्वास किया गया कि हम अतीत के वंशधन हैं जिसकी युग से ही यह विश्वास प्रचलित था कि मनुष्य तीन ऋणों—पितृऋण, देवऋण तथा ऋषिऋण—के साथ उत्पन्न होता है तथा इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए क्रमशः वंश-वर्धन, विद्याभ्यास एवं याज्ञिक कर्म की अपेक्षा है। अतएव, निश्चित रूप से परंपरा के प्रति चेतना तथा उत्तरदायित्व की भावना भारतीयों में विद्यमान थी। आज भी दक्षिण भारत में ऐसे पण्डित हैं जो वैदिक यज्ञों का सम्पादन उसी कुशलता के साथ कर सकते हैं जैसे वे 3000 वर्ष पूर्व सम्पादित होते थे। इसी भावना के कारण प्राचीन ग्रंथों का समय-समय पर सम्पादन तथा उन्हें निरंतर नूतन एवं बुद्धिगम्य बनाए जाने का प्रयास किया जाता रहा। महाभारत को सदैव समयानुकूल बनाया जाता रहा। इसी प्रकार पुराणों में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन आधुनिक युग तक किए जाते रहे।

भारतीयों की तथाकथित अ-ऐतिहासिकता के अभियोजन के पीछे भारत में ऐतिहासिक रचनाओं की अपेक्षाकृत क्षीण उपलब्धि भी है। यहाँ यह स्मरणीय है कि संभवतः प्राप्त सामग्री वस्तुतः अस्तित्वमान सामग्री का अत्यन्त अंशमात्र है। ज्ञान की एक शाखा अथवा अध्ययन के एक विषय के रूप में इतिहास को अत्यन्त आदरणीय स्थान प्राप्त था। शासकों के लिए इतिहास-अध्ययन पर बल देते हुए कौटिल्य ने इसके व्यावहारिक लाभ को स्वीकार किया है। साथ ही, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं कि शासकों के यहाँ शासकीय तथा प्रशासकीय विवरण तैयार किया जाता था। कम से कम मौर्यों के समय से तत्सम्बन्धी विभाग का होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। गुप्त अभिलेखों में 'अपेक्षपटलाधिकृत' नामक अधिकारी का उल्लेख है। विविध शासनवंशीय उथल-पुथलों के कारण ये विवरण अब अप्राप्य हैं।

यह कहना सत्य नहीं है कि भारत में इतिहास उपेक्षित रहा। तथापि, कुछ आर्यों में इसकी उपेक्षा की गई। उदाहरण के लिए, जब भी किसी धर्म अथवा दर्शन की प्रमुख परंपरा का संकलन किया गया, इसके प्रलेखों अथवा प्रतिपादकों के विषय में ठीक-ठीक तथा विस्तृत वितरण नहीं रखा गया। न ही परवर्ती अंशों को प्राचीनतर भाग से पृथक् रखने की चेष्टा की गई। वृहद्काय वेदों, पुराणों के रचनाकारों के विषय में हम सर्वथा ज्ञान-शून्य हैं। इसी प्रकार जब रामायण, महाभारत तथा पुराणों को अनुश्रुत इतिहास के रूप में कल्पित किया गया तथा उन्हें काल्पनिक अथवा अर्धकाल्पनिक प्राचीनता से समन्वित किया गया तो एक आलोचनात्मक विवेक द्वारा ऐतिहासिक सामग्री को अनैतिहासिक सामग्री से पृथक् नहीं किया गया। शासकीय प्रलेखों के आधार पर जब वाणरचित हर्ष चरित तथा कल्हणरचित राजतरंगिणी जैसी ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी गईं तो इतिहास और कल्पना के समन्वयन को बचाने के लिए उपयुक्त चेष्टा नहीं की गई। यद्यपि राजतरंगिणी के तथ्यों को कल्पना से पृथक् करने का प्रयास है, किन्तु सामान्यतया यहाँ भी इतिहासकार कवि की भूमिका ग्रहण करते हुए दिखाई पड़ता है।

वस्तुतः भारतीयों ने केवल जानकारी के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के लेखन में अपेक्षित रुचि नहीं ली। अतीत तथा इसकी स्मृति की सुरक्षा को उन्होंने धार्मिक तथा काव्यात्मक मूल्यों के अधीनस्थ रखा। इतिहासकार एक आलोचनात्मक बृद्धि से समन्वित तथा केवल अतीत के तथ्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है तथा इतिहास एक आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक तथा पक्षपात शून्य लेखन है— इतिहासकार तथा इतिहास का यह आदर्श भारतीयों द्वारा अधिक महत्त्व ग्रहण करता हुआ नहीं प्रतीत होता।

अतीत के विषय में जो वस्तुतः महत्त्वपूर्ण है वह है उत्तराधिकार रूप में प्राप्त विचार तथा आदर्श, न कि ऐतिहासिक विवरणों की निरंतरता। वस्तुतः यह मूल्यों की बात है। वस्तुतः ऐतिहासिक प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ सभी सांस्कृतिक प्रकरणों को अर्थ के एक विकासशील संदर्भ के प्रकरण के रूप में प्रतिष्ठित होने में, अथवा दूसरे शब्दों में, आत्म-बोध की गवेषणा के रूप में लिए जाने में निहित है। वैयक्तिक जीवन के स्तर पर भी कोई व्यक्ति अपने अतीत से संबंधित सभी घटनाओं तथा व्यक्तियों को याद नहीं रखता है जिन्हें वह कुछ महत्त्व प्रदान करता है। इसी प्रकार किसी भी समाज अथवा संस्कृति में वहीं बातें सुरक्षित रखी



जाती हैं जिन्हें वह अपने लिए आवश्यक तथा मूल्यवान् समझती है। प्राचीन यूनानी तथा चीनी संस्कृति में राज्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया तथा इसे मानव जीवन की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति का निमित्त माना गया। राजा देव-पुरुष होता था जो मनुष्य तथा आकाश के बीच स्थित था राज्य की समृद्धि अथवा विपदात्मक स्थिति उसके कुशल अथवा अकुशल आचरण का प्रतिबिम्बन मात्र समझी जाती थी।

इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है कि 'इतिहास' को अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय गौरवपूर्ण स्थान प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषद् साहित्य में 'ज्ञान की इस शाखा को इतिहासवेद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वास्तव में इतिहास, पुराण दोनों संश्लिष्ट रूप में उल्लेखित हुए हैं और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि वेद हिन्दुओं के पवित्रतम धर्मग्रंथ है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचय देता है और वह भी इतने प्राचीनकाल से। उत्तरवर्ती भारतीय विचारधारा में भी इतिहास को वेद समझने की परंपरा विद्यमान रही। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि तीन वेद— साम, ऋक् और यजुस् वेदत्रयी बनते हैं तथा इतिहासवेद के साथ ये वेद के नाम से जाने जाते हैं।" राजा की दिनचर्या में इतिहास-श्रवण को कौटिल्य ने एक आवश्यक क्रिया बताया है : मध्याह्न से पूर्व का समय सैनिक प्रशिक्षण में बिताकर राजा को मध्याह्न का समय इतिहास-श्रवण में बिताना चाहिए। इस प्रसंग में कौटिल्य ने इतिहास के घटक अंगों का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत आख्यायिका, उदाहरण धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी आते हैं। इस प्रकार इतिहास का अर्थ केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन अर्थात् साम्राज्यों के अभ्युदय और पतन की कथा ही नहीं है अपितु इतिहास का अध्ययन नैतिक, नियमों, सामाजिक संस्थाओं और वैदिक नियमों का भी समावेश करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. के0डी0 वाजपेयी : भारतीय व्यापार का इतिहास।
2. शिवस्वरूप सहाय : प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, मोतीलाल बनासीदास, दिल्ली, 1998।
3. ए0एल0 वाशम : अद्भुत भारत (मूल ग्रंथ अंग्रेजी में)।
4. अच्छेलाल : प्राचीन भारत में कृषि, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, 1980।
5. अच्छेलाल : प्राचीन हिन्दू विधि, इण्डोलॉजिकल बुक हाउस, वाराणसी, 1981।
6. के0 सी0 जैन : प्राचीन भारतीय सामाजिक आर्थिक जीवन।
7. गोविन्द चन्द्र पाण्डेय (सं0) : इतिहास – स्वरूप एवं सिद्धांत